रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 1998/पौष 23, 1919

No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 1998/PAUSA 23, 1919

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1998

संख्या 11013/3/96-प्रशासन.—सरकारी क्षेत्र विनिवेश आयोग के गठन से सम्बन्धित इस मंत्रालय के दिनांक 23-8-96 के संकल्प संख्या 11013/3/96-प्रशासन में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा संख्या 3, 4 और 5 को निकाल दिया गया है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :—

3(i) विनिवेश आयोग एक परामर्शदायी निकाय होगा तथा उसकी भूमिका व कार्य सरकार को सरकारी क्षेत्र के उन एककों में विनिवेश के बारे में परामर्श देना होगा, जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए हैं।

3(ii) आयोग सरकार द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए विनिवेश संबंधी किसी अन्य मामले पर भी सरकार को परामर्श देगा तथा सरकार द्वारा सौंपे गए विनिवेश संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप भी करेगा।

3(iii) अनुशंसा करते समय आयोग सरकारी क्षेत्र के एकक (एककों) के कामगारों, कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों के हितों को भी ध्यान में रखेगा।

3(iv) विनिवेश आयोग की अनुशंसाओं पर अंतिम निर्णय करना सरकार का दायित्व होगा।

एस० तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th January, 1998

No. 11013/3/96-Admn.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 11013/3/96-Admn. dated 23-8-96 constituting the Public Sector Disinvestment Commission, Paras 3, 4 and 5 thereof are deleted and substituted by the following :—

3(i) The Disinvestment Commission shall be an advisory body and its role and function would be to advise the Government on Disinvestment in those public sector units that are referred to it by the Government.

3(ii) The Commission shall also advise the Government on any other matters relating to disinvestment as may be specifically referred to it by the Government, and also carry out any such other activities relating to disinvestment as may be assigned to it by the Government.

3(iii) In making its recommendations, the Commission will also take into consideration the interests of workers, employees and other stake holders, in the public sector unit(s).

3(iv) The final decision on the recommendations of the Disinvestment Commission will vest with the Government.

S. TALWAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998